

I/369823/2023

संख्या- 33 /2023/ 1333 /001-9-7002-099-3-2021

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 16 अगस्त, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों को पशु शेल्टर होम्स/गौशाला/कांजी हाउस बनाये जाने हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के विषयगत अवगत कराना है कि कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-158/ नौ-8-2010-06 केपीए(बजट)/ 2020, दिनांक 31-07-2020 शासनादेश संख्या-29मंत्री/नौ-8-2020-02केपीए (बजट)/2020, दिनांक 03.12.2020 शासनादेश संख्या-44/2022/1876/024-46-G-2022,दिनांक 29.11.2022 शासनादेश संख्या-1916/नौ-8-2019-02केपीए (बजट)/2019, दि० 20.09.2019 शासनादेश संख्या-9-7002(099)/3/2021-7 दिनांक 06.12.2021 एवं शासनादेश संख्या-05/2023/491/001-9-7002-002-2-2022,दिनांक-03.03.23 द्वारा विभिन्न नगर निकायों को गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम/द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु उपर्युक्त शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित नागर निकायों को उनके नाम के सम्मुख अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि के अनुसार कुल रु 708.99 लाख (रुपये सात करोड़ आठ लाख निन्यानवे हजार मात्र) चालू कार्यों हेतु अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	निकाय का नाम/जनपद	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्राविधानित धनराशि	प्रथम/द्वितीय किशत की धनराशि	प्रस्तावित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम , लखनऊ	158/ नौ- 8-2010-06 केपीए(बजट)/ 2020 दिनांक 31-07-2020	172.65	86.32	86.33

2	नगर पंचायत , मुसाफिरखाना, अमेठी	29मंत्री/नौ-8-2020-02केपीए (बजट)/2020, दिनांक 03.12.2020	162.97	40.75	72.22
		44/2022/1876/024-46- G-2022 दिनांक 29.11.2022		50.00	
3	नगर पालिका परिषद , जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर	1916/नौ-8-2019-02केपीए (बजट)/2019, दि० 20.09.2019	141.65	70.83	70.82
4	नगर पंचायत , न्योतनी, उन्नाव	9-7002(099)/3/2021-7 दिनांक 06.12.2021	158.89	27.90	130.99
5	नगर पंचायत , महारौनी ललितपुर	05/2023/491/ 001-9- 7002-002- 2-2022 दिनांक- 03.03.23	165.89	35.00	130.89
6	नगर पंचायत , दारानगर कड़ाधाम, कौशाम्बी	9-7002(099)/3/2021-7 दिनांक 06.12.2021	165.89	27.90	137.99
7	नगर पंचायत , अझुवा, कौशाम्बी	1916/नौ-8-2019-02केपीए (बजट)/2019, दि० 20.09.2019	159.51	79.76	79.75
कुल योग			1127.45	418.46	708.99

(रुपये सात करोड़ आठ लाख निन्यानवे हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।
- (2) यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त निकायों को अवमुक्त की जा रही द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2024 तक के लिये निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप मंत उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक नगरीय निकाय/शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (3) नगर पंचायत/नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से third party inspection(गुणवत्ता निरीक्षण) पी0डब्ल्यू0डी0आर0ई0एस0 के अधिशासी अभियन्ता स्तर से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- (4) संबंधित नगर निकाय को कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-158/ नौ-8-2010-06 केपीए(बजट)/ 2020, दिनांक 31-07-2020 शासनादेश संख्या-29मंत्री/नौ-8-2020-02केपीए (बजट)/2020, दिनांक 03.12.2020 शासनादेश संख्या-44/2022/1876/024-46-G-2022,दिनांक 29.11.2022 शासनादेश संख्या-1916/नौ-8-2019-02केपीए (बजट)/2019, दि० 20.09.2019

I/369823/2023

शासनादेश संख्या-9-7002(099)/3/2021-7 दिनांक 06.12.2021 एवं शासनादेश संख्या-05/2023/491/001-9-7002-002-2-2022, दिनांक-03.03.23 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,08,99,000 (रुपये सात करोड़ आठ लाख निन्यानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2070008000700 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by कल्याण बनर्जी

Date: 16-08-2023 18:35:44

Reason: Approved
(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 33 /2023/ 1333(1) /001-9-7002-099-3-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम /अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 33 /2023/ 1333(1) /001-9-7002-099-3-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ०प्र०।
5. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम /अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र०।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ०प्र०, प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
Signed by कल्याण बनर्जी
Date: 16-08-2023 18:36:32
Reason: Approved
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।